UPSB010049532022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन–अशोक कुमार यादव–I, एच.जे.एस.,UP05607

1. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2321 / 2022
CNRN0-UPSB01-004860-2022

दीनानाथ प्रजापति पुत्र महेन्द्र प्रसाद, निवासी–शिवा पार्क, रेनूकूट, थाना–पिपरी, जनपद –सोनभद्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

2. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2322 / 2022
CNRN0-UPSB01-004861-2022

अरविन्द कुमार प्रजापति पुत्र राम सजीवन, निवासी–गंभीरपुर, पोस्ट–गोविन्दपुर, थाना–म्योरपुर, जनपद–सोनभद्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

3. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2355 / 2022
CNRN0-UPSB01-004953-2022

संतोष जायसवाल पुत्र जय प्रकाश जायसवाल, निवासी–धौकीनाला, मुर्धवा, थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

4. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2356 / 2022
CNRN0-UPSB01-004954-2022

राजेश जायसवाल पुत्र जय प्रकाश जायसवाल, निवासी–धौकीनाला, मुर्धवा, थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. आवेदकगण **दीनानाथ प्रजापति, अरविन्द कुमार प्रजापति, संतोष जायसवाल व राजेश जायसवाल** के जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्तागण क्रमशः श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव व श्री शोभित श्रीवास्तव, एडवोकेट तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

2. आवेदकगण आवेदकगण **दीनानाथ प्रजापति, अरविन्द कुमार प्रजापति व संतोष जायसवाल** अ.सं.–135 / 2022 अंतर्गत धारा–380, 381,

411 भा.दं.सं., थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 2321/2022, 2322/2022 व 2355/2022 तथा आवेदक **राजेश जायसवाल** अ.सं.–135/2022 अंतर्गत धारा–380, 411 भा.दं.सं., थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद्र में अभियुक्तगण हैं।

3. उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही घटना, अ.सं. व थाने से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनकी सुनवाई व निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

4. जमानत प्रार्थना पत्र में अभिकथन है कि आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उनका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न संस्थित किया गया है, न विचाराधीन है, न खारिज हुआ है। अभियुक्तगण को अकारण संलिप्त किया गया है। उनकी प्रस्तुत मामले में कोई भूमिका नहीं है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। आगे कहा गया है कि अभियोजन कथानक काल्पनिक, तथ्यहीन, आधारहीन व बेबुनियाद है। आवेदकगण वादी के यहां संविदा कर्मचारी हैं और उनका कई माह का वेतन बकाया था जिसे न देना पड़े, इसलिये वादी ने उसे रंजिशन व झूंठा फंसाया है। पुलिस ने वादी की साजिश में उन्हें घर से पकड़कर इस मामले में संलिप्त किया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, न उनके कब्जे से कोई बरामदगी हुई है। कथित घटना से उनका कोई लेना–देना नहीं है। वे कई दिनों से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्तगण के पैरोकार क्रमशः महेन्द्र प्रजापति, गुलाब व मुकेश जायसवाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

5. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने का तर्क प्रस्तुत किया जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी का तर्क है कि आवेदकगण द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ हिण्डालको कंपनी के कार्बन प्लांट के वर्कशॉप से कापर की 13 सिल्लियों की चोरी की गई जो सुरक्षा कर्मियों ने अभियुक्तगण व उनके सहयोगियों के संयुक्त कब्जे से बरामद कीं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट का सम्यक परिशीलन किया जिसके अनुसार दिनांक–28.09.2022 को लगभग 06 बजे सुबह हिण्डालको प्लांट के अंदर से जायसवाल ब्रदर्श एण्ड कंपनी में कार्यरत कर्मचारीगण संतोष कुमार जायसवाल, अरविन्द कुमार प्रजापति, दीनानाथ प्रजापति, सुशील यादव, राजेश जायसवाल व सुधीर कुमार 2 मोटर साइकिल नंबर–यू.पी.64ए.एफ./9223 व यू.पी.64ए.एस./0801 से प्लांट से बाहर की ओर आ रहे थे। दोनों मोटर साइकिलों पर 3–3 सवारी बैठे होने सिक्योरिटी द्वारा दोनों मोटर साइकिलों को रोक कर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि साधन उपलब्ध न होने के कारण एक–एक मोटर साइकिल पर 3–3 लोग बैठ कर आ रहे थे। सिक्योरिटी को आशंका होने पर उन्हें मोटर साइकिल से उतरने हेतु कहा गया। जैसे ही अभियुक्तगण मोटर साइकिल से उतरने लगे तो सिक्योरिटी ने देखा कि दोनों मोटर साइकिलों पर बैठे व्यक्तियों ने कॉपर की 13 सिल्ली छिपाकर रखी थी। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि ये सिल्लियां वे प्लांट के अंदर से काटकर बाहर बेचने

के लिये ले जा रहे थे और पैसा मिलने पर आपस में बराबर–बराबर बांट लेते। इससे पहले भी उन्होंने सिल्लियां चुराई हैं लेकिन पकड़े नहीं गये। अतः अभियुक्तगण को सिक्योरिटी गेट पर बैठाकर वादी बृजेश जायसवाल ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

7. केस डायरी के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा हिण्डालको प्लांट से कापर की 13 सिल्लियां चोरी करना जो सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके कब्जे से बरामद करना कहा गया है। घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदकगण का इस मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण दिनांक–28.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अपराध की प्रकृति, दंड की मात्रा तथा अभियुक्तगण की जेल में निरूद्धि की अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है। तद्नुसार आवेदकगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण **दीनानाथ प्रजापति, अरविन्द कुमार प्रजापति व संतोष जायसवाल** के अ.सं.–135/2022 अंतर्गत धारा–380, 381, 411 भा.दं.सं., थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 2321/2022, 2322/2022 व 2355/2022 तथा आवेदक **राजेश जायसवाल** का अ.सं.–135/2022 अंतर्गत धारा–380, 411 भा.दं.सं., थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2356/2022 स्वीकार किये जाते हैं। प्रत्येक आवेदक को उक्त प्रकरण में रु.50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू बंध पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदकगण बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होंगे।
2. आवेदकगण विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा–313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदकगण वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देंगे कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करे।
4. आवेदकगण साक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगे।
5. जो अभियोग आवेदकगण पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध नहीं करेंगे।

इस जमानत आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः–2322/2022, 2355/2022 व 2356/2022 में रखी जाये।

दिनांक–18.10.2022

(अशोक कुमार यादव–I)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

Digitally signed by Ashok Kumar Yadava I
Date: 2022.10.18 17:44:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sonbhadra